

20/09/2024

प्रेषक,

अभय प्रताप सिंह-1,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय कक्ष संख्या 03, शाहजहाँपुर।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा

माननीय जनपद न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

पत्रांक:

1852 / I

दिनांक: 05-09-2024

विषय:-

National Pension System/New pension Scheme से **Old Pension Scheme** में शामिल होने हेतु पुनः आवेदन पत्र मय विकल्प पत्र कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति के उपरान्त प्रस्तुत करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बंध में सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 9691/IV-F-82(Pension)/Admin.(A) dated: July 16, 2024 के माध्यम से National Pension System/New pension Scheme को Old Pension Scheme में परिवर्तित किये जाने हेतु E-Services JO portal पर ऑन लाईन व भौतिक रूप से आवेदन आहूत किये गये हैं।

महोदय, सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.08.2024 को E-Services JO portal पर ऑन लाईन आवेदन व दिनांक 05.08.2024 को भौतिक रूप से प्रस्तुत किया गया था, परन्तु प्रार्थी के विकल्प पत्र पर कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति नहीं थी। माननीय महोदय, माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 11718/IV-F-82(Pension)/Admin.(A)Dated: 31-08-2024 के माध्यम से जिन आवेदनकर्ताओं द्वारा विकल्प पत्र बिना कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति के प्रेषित कर दिये गये हैं, उन आवेदनकर्ताओं से पुनः आवेदन पत्र मय विकल्प पत्र कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति सहित आहूत किये गये हैं।

महोदय, प्रार्थी द्वारा पुनः आवेदन पत्र मय विकल्प पत्र कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति के उपरान्त इस पत्र के साथ प्रेषित किया जा रहा है। उक्त आवेदन पत्र मय विकल्प पत्र, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ **E-Services JO Portal** पर भी प्रेषित किया रहा है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि प्रस्तुत पत्र के साथ संलग्न **National Pension System/New pension Scheme** से **Old Pension Scheme** में शामिल होने हेतु, प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक 05.09.2024

भवदीय,

Abhay Pratap Singh
05/09/2024

(अभय प्रताप सिंह-1)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय कक्ष सं0-03, शाहजहाँपुर।
आई0डी0नं0 यू0पी0-6315

संलग्नक:

अवेदन पत्र व विकल्प पत्र।

अभयप्रताप
जनपद न्यायाधीश
शाहजहाँपुर
5-9-24

From,

Abhay Pratap Singh-I,
Additional District & Sessions Judge,
Court No. 03, Shahjahanpur.

To,

The Registrar General,
High Court of Judicature at
Allahabad.

Through:- **The District Judge,**
Shahjahanpur.

Subject: - "Regarding exercise of one time option to switch from National Pension System/New Pension Scheme to Old Pension Scheme in compliance of letter No. 9691/ IV-F-82 (Pension)/Admin, (A) dated July 16, 2024 Issued by Hon'ble Court in the light of G.O. No.14/2024/ Sa - 3 - 243 / X 2024/301(1)/2024 dated 28.06.2024 read with G.O. No .20 /2024 /Sa3-276 /X-2024/301(1)/2024 dated 1.07.2024 of the Government of U.P.".

Sir,

Regarding the captioned subject, it is most humbly submitted that the Hon'ble Court through its letter no. 9691/ IV - F - 82 (Pension)/Admin. (A) dated July 16, 2024 has been pleased to invite applications in online mode on E-Services JO Portal as well as in offline mode from all the judicial officials of State of U.P. who fulfil the criteria as laid down in aforesaid G.O. dated 28.06.2024, as per proforma of Option Form.

The applicant was appointed as Additional Civil Judge (Junior Division) in U.P. Nyayik Sewa on 26.05.2006 on the basis of vacancy advertisement No.-A-2/E-1/2003 dated 15.11.2003 and the applicant joined the aforesaid service as Metropolitan Magistrate, Kanpur Nagar on 16-06-2006. The said vacancy was advertised prior to issuance of State Government Notification No. Sa-3-379/X-2005-301 (9)-2003 dated 28.03.2005. Therefore, the applicant is entitled to get benefits of Old Pension Scheme.

Therefore, it is humbly requested that the applicant is, herewith, submitting his Option Form opting to switch over from National Pension System/ New Pension Scheme to Old Pension Scheme and the same may kindly be accepted. The Option Form is also being submitted in online mode on E-Services JO Portal separately.

With regards.

Yours Faithfully,

Abhay Pratap Singh-I
05.09/2024

(Abhay Pratap Singh-I)

Additional District and Sessions Judge,

Court No. 03, Shahjahanpur.

J.O.ID NO. U.P. 6315

Date : 05.09.2024

Enclosure:-

Duly filled Option Form

भयप्रतापसिंह
न्यायाधीश
शाहजहाँपुर
58-24

शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का

संलग्नक-

विकल्प पत्र

1. नाम : अमय प्रताप सिंह-I
2. वर्तमान पदनाम : अपर ज़िला जज, शाहजहांपुर।
3. वेतनमान : J5-1,44,840-1,94,660
4. वर्तमान विभाग का नाम : न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापित जारी करने वाले विभाग का नाम- : न्याय विभाग (माध्यम-लोक सेवा आयोग उ0प्र0)
6. विज्ञापित की तिथि : 15.11.2003 (विज्ञापन संख्या-A-2/ई-1/2003)
7. विज्ञापित के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि : 26.05.2006 (संख्या 2430/दो-4-06-32(1)/2001)
टी.सी.-1 लखनऊ दिनांक 26 मई, 2006(नियुक्ति अनुभाग-4)
8. योगदान की तिथि : 16.06.2006
9. जन्म तिथि : 28-10-1977
10. सेवानिवृत्ति की तिथि : 31-10-2037

मैं अमय प्रताप सिंह-I पुत्र श्री बलबीर सिंह शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (OPS) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर.....

नाम-अमय प्रताप सिंह-I

पदनाम- अपर ज़िला जज, शाहजहांपुर।

J.O. I.D. No.UP 6315

घोषणा पत्र

मैं अमय प्रताप सिंह-I पदनाम अपर ज़िला जज, शाहजहांपुर यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर.....

नाम- अमय प्रताप सिंह-I

पदनाम- अपर ज़िला जज, शाहजहांपुर।

J.O. I.D. No.UP 6315

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री अमय प्रताप सिंह-I पदनाम अपर ज़िला जज शाहजहांपुर को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

DISTRICT JUDGE
SHAHJAHANPUR